

प्रशासन गांव कें संग (फोलोअप ) अभियान वर्ष - 2022

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर0ए0एस0 )

वाद सं0 : 115 सन 2022

अनवान :-

1. देवीलाल पुत्र पतूराम जाति धाणक निवासी ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. बनवारी पुत्र पतूराम जाति धाणक निवासी ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर।
2. धर्मपाल पुत्र पतूराम जाति धाणक निवासी ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर
3. हनुमान पुत्र स्व रामकुमार जाति धाणक निवासी ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
4. शान्तिदेवी पुत्री पतूराम जाति धाणक निवासी ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर
5. मैना पुत्री पतूराम जाति धाणक निवासी ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर
6. राजबाला पुत्री पतूराम जाति धाणक निवासी ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर
7. विधा पुत्री पतूराम जाति धाणक निवासी ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 17/05/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा ललानाबास दिखनादा के खाता संख्या 98/108 की कुल 4.6540 हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में पतूराम वल्द मूलाराम के नाम से दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में पतूराम वल्द मूलाराम के नाम से दर्ज है जो वादी का पिता है पतूराम वल्द मूलाराम को देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 है जो पतूराम वल्द मूलाराम के नाम से दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के पिता पतूराम की पत्नी मैना का भी देहान्त हो चुका है वादी के भाई रामकुमार व भाभी गुडडी का भी देहान्त हो गया है इसप्रकार पतूराम पुत्र मूलाराम के जीवित जायज वारिसान वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 है जो वाद भूमि अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 4 ता 7 वादी की बहने एवं पतूराम वल्द मूलाराम की पुत्रीया है प्रतिवादी संख्या 4 ता 7 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 4 ता 7 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की पतूराम वल्द मूलाराम के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 बहिब के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित

उपखण्डाधिकारी  
नोहर

आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ने निवेदन किया की वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में पतूराम वल्द मूलाराम के नाम से दर्ज है जो वादी का पिता है पतूराम वल्द मूलाराम को देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 है जो पतूराम वल्द मूलाराम के नाम से दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है तथा प्रतिवादी संख्या 4 ता 7 वादी की बहने एवं पतूराम वल्द मूलाराम की पुत्रीया है प्रतिवादी संख्या 4 ता 7 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 4 ता 7 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 8 परोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात वादी के निवेदन पर पत्रावली प्रशासन गांव के संग ( फोलोअप ) अभियान - 2022 में रखी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की रोही मौजा ललानाबास दिखनादा के खाता संख्या 98/108 की कुल 4.6540हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में पतूराम वल्द मूलाराम के नाम से दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में पतूराम वल्द मूलाराम के नाम से दर्ज है जो वादी का पिता है पतूराम वल्द मूलाराम को देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 है जो पतूराम वल्द मूलाराम के नाम से दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के पिता पतूराम की पत्नी मैना का भी देहान्त हो चुका है वादी के भाई रामकुमार व भाभी गुडडी का भी देहान्त हो गया है इसप्रकार पतूराम पुत्र मूलाराम के जीवित जायज वारिसान वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 है जो वाद भूमि अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 4 ता 7 वादी की बहने एवं पतूराम वल्द मूलाराम की पुत्रीया है प्रतिवादी संख्या 4 ता 7 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 4 ता 7 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

परोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पत्ति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

अ  
अध्यक्ष अधिकारी  
नोहर

हमने उभयपक्षो को सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा ललानाबास दिखनादा के खाता संख्या 98/108 की कुल 4.6540हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में पतूराम वल्द मूलाराम के नाम से दर्ज है।

वादी का कथन है कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में पतूराम वल्द मूलाराम के नाम से दर्ज है जो वादी का पिता है पतूराम वल्द मूलाराम को देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 है जो पतूराम वल्द मूलाराम के नाम से दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 4 ता 7 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 4 ता 7 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते हैं के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 4 ता 7 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के द्वारा स्वीकार करने एवं परोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा ललानाबास दिखनादा के खाता संख्या 98/108 की कुल 4.6540हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में पतूराम वल्द मूलाराम के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 चारो बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाबता दाखिल दफ्तर हो।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 17/05/2022 को प्रशासन गांव के संग अभियान में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व )  
उपखण्ड अनुमानमड )  
प्रशासन गांव के संग (फोलाअप ) अभियान वर्ष- 2022  
कैम्प कोर्ट उपरिय

**प्रशासन गांव के संग (फोलोअप ) अभियान वर्ष – 2022**

**पर्चा डिक्री**

( आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी )

**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर**

अनवान :-

1. देवीलाल पुत्र पतूराम जाति धाणक निवासी ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. बनवारी पुत्र पतूराम जाति धाणक निवासी ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर।
2. धर्मपाल पुत्र पतूराम जाति धाणक निवासी ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर
3. हनुमान पुत्र स्व रामकुमार जाति धाणक निवासी ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
4. शान्तिदेवी पुत्री पतूराम जाति धाणक निवासी ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर
5. मैना पुत्री पतूराम जाति धाणक निवासी ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर
6. राजबाला पुत्री पतूराम जाति धाणक निवासी ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर
7. विधा पुत्री पतूराम जाति धाणक निवासी ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

**वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**

**राजस्व वाद संख्या 115 सन 2022 निर्णय दिनांक-17/05/2022**

आज यह वाद प्रशासन गांव के संग (फोलोअप ) अभियान वर्ष – 2022 में मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व ) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं परोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा ललानाबास दिखनादा के खाता संख्या 98/108 की कुल 4.6540 हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में पतूराम वल्द मूलाराम के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 चारो बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 17/05/2022 को प्रशासन गांव के संग (फोलोअप ) अभियान में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )  
उपखण्ड हनुमानगढ )  
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष- 2022  
कैम्प कोर्ट.....